

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मग इनिशियल्स जज  
अपील 02/2023  
लीला वगै, बनाम राजस्थान सरकार वगै,

नम्बर य तारीख  
अहकाम  
जो इस हुकम की  
तामील में जारी हुए


न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस  
आदेश

दिनांक 07.06.2023

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री रामश्वरूप शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 02.11.2021 को अपीलांत अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण श्रीमान न्यायालय में पैरवी हेतु हाजिर नहीं हो सके प्रत्येक मामले को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है। उक्त प्रकरण पिछली पेशी पर ही हाजा न्यायालय द्वारा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है तथा जिसका न्यायहित में सुना जाना अति आवश्यक है। अतः धारा 05 का आवेदन स्वीकार करते उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांत का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांत की एकतरफा बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपील प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। प्रार्थना-पत्र का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायहित में अपीलांत को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांत का आवेदन अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः पुराने नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फेशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश दिनांक 07.06.2023 को सुनाया गया।

  
(प्रतिष्ठा पिलानिया)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर